राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः 31546 जयपुर, दिनांकः 01/11/19

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (विनियमन व रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का लाभ उठाने के लिये कई अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी पंजीकरण करवाया जा रहा है। वर्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीयन हेतु तथा योजनाओं में लाभ लेने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। इस प्रक्रिया में श्रम निरीक्षक/अधिकारी का यह दायित्व है कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की गहनता से जांच करे तथा सन्देहास्पद आवेदनों में भौतिक सत्यापन करवाने के बाद ही पंजीयन/योजनाओं का लाभ दें। संबंधित श्रम निरीक्षक/अधिकारी द्वारा किसी भी श्रमिक के पात्रता नहीं रखने पर यदि योजना का लाभ दिया जाता है तो ऐसे श्रम निरीक्षक/अधिकारी के विरूद्ध राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा साथ ही विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

पंजीयन/योजनाओं का गलत फायदा प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को स्पष्ट चेतावनी दी जाये कि गलत तथ्यों तथा गलत शपथ पत्र के आधार पर यदि किसी योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही के साथ साथ विधिक कार्यवाही तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई.आर) भी दर्ज करायी जायेगी।

(नवीन जैन)
शासन सचिव,
श्रम एवं नियोजन,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः जयपुर दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय श्रम राज्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी.....

श्रम आयुक्त
एवं सचिव, मण्डल